स्पेशल टास्क फोर्स, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

प्रेस नोट संख्याः 72, दिनांकः 07–03–2024

अर्न्तराज्यीय स्तर पर कोरियर सेवाओं के माध्यम से मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले गिरोह के 02 सदस्य 53.840 किग्रा अवैध गांजा के साथ गिरफ्तार।

दिनांक 07–03–2024 को एस0टी0एफ0 उ0प्र0 को अर्न्तराज्यीय स्तर पर कोरियर सेवाओं के माध्यम से मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले गिरोह के 02 सदस्य 53.840 किग्रा अवैध गांजा (अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य लगभग 13,50,0,00 लाख रूपये) के साथ गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः–

1–रवीन्द्र यादव पुत्र स्व0 नथुनी यादव निवासी सुन्दरपुर, पोस्ट पाण्डेय पुर, थाना बछौच घाट जनपद देवरिया।

2–विकास चौहान पुत्र श्री सुदामा चौहान, निवासी नगर पंचायत बरियार पुर, वार्ड नं0–11, बनहवा टोला, पोस्ट बडाहरा बाबू, थाना बरियारपुर, जनपद देवरिया।

बरामदगीः–

1. 53.840 किलो गांजा (अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य लगभग 13,50,0,00 लाख रूपये)
2. 1220/– रूपये नगद।
3. 02 अदद मोटर साइकिल।
4. 02 अदद मोबाइल फोन।

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समयः–

स्थानः पूर्वी तिहारा से 100 मीटर हाटा कुशीनगर रोड डी0टी0डी0सी0 कोरियर सेवा कार्यालय जनपद देवरिया। दिनांक 07–03–2024।

एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को विगत काफी समय से उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में कोरियर के माध्यम से मादक पदार्थो की तस्करी करने वाले गिरोह के सक्रिय होने की सूचनायें प्राप्त हो रही थी। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। इसी क्रम में श्री प्रमेश कुमार शुक्ल, पुलिस उपाधीक्षक, एसटीएफ उ0प्र0, लखनऊ के पर्यवेक्षण में एस0टी0एफ0 मुख्यालय में एक टीम गठित कर अभिसूचना संकलन की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी तथा अभिसूचना तन्त्र को सक्रिय किया गया।

अभिसूचना संकलन के क्रम में उ0नि0 श्री जावेद आलम सिद्दीकी के नेतृत्व में मुख्य आरक्षी चन्द्रप्रकाश मिश्र, मुख्य आरक्षी मृत्युंजय कुमार सिंह, मुख्य आरक्षी यशवंत सिंह की एक टीम जनपद देवरिया में मौजूद थी। इसी दौरान मुखबिर के माध्यम से ज्ञात हुआ कि 02 व्यक्ति मोटर साइकिल से सलेमपुर की तरफ से आ रहे है जो यहां से 100 मीटर हाटा कुशीनगर रोड पर स्थित डी0टी0डी0सी0 कोरियर सेवा कार्यालय जाकर वहां से अवैध गांजा के पैकेट प्राप्त करेंगें। इस सूचना पर विश्वास कर, स्थानीय पुलिस को अवगत कराते हुए, साथ लेकर, मुखबिर के बताये हुए स्थान पर पहुंच कर, मुखबिर की निशादेही पर उपरोक्त अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया जिनके कब्जे से उपरोक्त बारामदगी हुयी।

गिरफ्तार अभियुक्तों ने संक्षिप्त पूछताछ पर बताया कि वे लोग आसाम उदाल गुडी के जीतू कालिता पुत्र अज्ञात निवासी उदाल गुडी स्टेशन डीएलके उदालगुडी आसाम पिन 784509 से अवैध गांजा कोरियर के माध्ये से मंगवाते हैं। दिनांक 31.01.2024 को इन लोगों द्वारा 03 पैकेट गांजा (40 किलोग्राम) कोरियर के माध्यम से मगाया गया था । दिनांक 07.03.2024 को पुनः कोरियर से मगाये गये अवैध गांजे को डी0टी0डी0सी0 कोरियर सेवा कार्यालय से लेने आये थे कि पकड लिये गये।

गिरफ्तार दोनो अभियुक्तों के द्वारा पूर्व में भी इसी तरह से अवैध गांजा आसाम से मगवाया जाता रहा है। अवैध गांजे को सस्ते दामों में मंगाकर, देविरया जिले के आस–पास के जनपदों में महगें दामों में बेच दिया करते थे। 04–05 वर्ष पूर्व गांजे की तस्करी के प्रकरण में रवीन्द्र यादव थाना रामपुर कारखाना जनपद देवरिया से जेल भी जा चुका है।

गिरफ्तार अभियुक्तों के विरूद्व थाना कोतवाली सदर जनपद देवरिया पर अभियोग पंजीकृत कराने की कार्यवाही की जा रही है। अग्रेतर कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।